न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रकरण संख्या 40/2005

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार ब्यावर हाल मसूदा जिला अजमेर।

बनाम

शिवसिंह वल्द रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा

राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

निर्णय

प्रकरण में साराशतः स्थिति यह रही है कि अप्रार्थी शिवसिंह ने प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.06.2003 के विरूद्व एक अपील माननीय न्यायालय अपर कलक्टर महोदय0 अजमेर के यहा अपील संख्या 2/2004 से प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 26.04.2005 से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.1995 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना कर प्रार्थी द्वारा घारित सम्पूर्ण खाते की जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करे।

आदेश दिनांक 30.05.1995 अपील संख्या 31/94 शिवसिंह बनाम सरकार पर पारित किये गये है इसमें यह विवेचन किया गया है कि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 13.12.1973 निरस्त हो गया है तो उन्हे अपने आदेश दिनांक 29.03.1994 में अपीलार्थी द्वारा धारित सम्पूर्ण खाते की जांच कर नये सिरे से यह निर्धारित करना चाहिए था कि अपीलार्थी के पास कुल कितनी भूमि थी तथा उसमें से कितनी भूमि सिलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण योग्य है जो नही किया गया है अतः आदेश त्रुटी पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपील आंशिक स्वीकार कर उक्त विवेचन से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं अन्य पक्षकारों को सुन कर बिन्दुनुसार विधिसम्मत आदेश पारित करे।

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा दिनांक 30.05.1995 को पारित आदेश के बाद इसकी पालना में दिनांक 4.10.1995 को अप्रार्थी श्रीशिवसिंह ने संशोधित घोषणा पत्र पेश कर निवेदन किया कि घोषणा कर्ता द्वारा धारित ख0 न0 1173 जिस संलग्न मानचित्र में लाल रंग से रेखांकित किया गया है में से अधिग्रहित की जावे। इस प्रकार अप्रार्थी शिवसिंह ने स्वतः ही ख0 न0 1160 के स्थान पर न्यायालय आदेश की पालना में ख0 न0 1173 की आराजी मे से 9–38 एकड भूमि को अधिग्रहित किये जाने का ऑप्शन प्रस्तुत कर दिया है तो प्रकरण पर स्वतः ही कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

अतः तहसीलदार मसूदा पर ऑप्शन दिनांक 4.09.1995 एवं नक्शा ट्रेस ख0 न0 1173 की छाया प्रति प्रेषित कर आवेदित आराजी को अधिग्रहित किये जाने बाबत् कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2017 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested